

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेन्सियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संचिका संख्या नि०/रोजगार ऋण-03-82/2022.....

पटना, दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

निगम के ज्ञाप संख्या-1197 दिनांक-23.07.2018 के आलोक में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2020-2021 एवं 2021-2022 अन्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-17.06.2022 से 01.07.2022 को चयनित वृहत क्र०सं० 01 ऋण के आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से जिला प्रभारी/प्रमण्डलीय प्रभारी एवं सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया के द्वारा त्रुटिहीन दस्तावेजीकरण एवं स्थल जाँच निस्पादित कराकर ऋण स्वीकृति देने के लिए निगम मुख्यालय को भेजा गया । सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया की अनुशंसा के आधार पर कुल 01 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतये के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के आधार लिंकड बैंक खाता की शुद्धता के जाँचोपरान्त RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. No	चयन सूची क्र०सं०	आई. डी. न०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing+ Imbosh Charge	Net Payable Amount
1.	9	4589	AFREEN NAZ, D/o- MD TAHIR ANSARI, Vill - AZAD NAGAR, Block-ARARIA, PS-ARARIA, PO-ARARIA, Distt.-ARARIA - 854311, Mob no -6200990725	A/c No.:- 610802010007476 UBIN0561088	MINERAL WATER	250000	1250 + 2030 = 3280	246720
TOTAL						250000	3280	246720


स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय अतिशीघ्र कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया द्वारा अपने पर्यवेक्षण में किसी कर्मी से कराते हुए आंकड़ा संधारित करेंगे एवं प्रतिवेदन की एक प्रति निगम मुख्यालय को भी उपलब्ध करायेंगे।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ज्ञापांक :-नि०/रोजगार ऋण-03-82/202268

ह0/-
प्रबंध निदेशक
दिनांक:-10-01-2024

प्रतिलिपि:-सहायक निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । आपके द्वारा जाँचोपरान्त प्रेषित 01 दस्तावेज / अभिलेख को ऋण की स्वीकृति दी गई है । भविष्य में दस्तावेज / अभिलेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि की जिम्मेदारी आपकी होगी । ऋण शाखा / ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल) / लेखा शाखा / प्रमण्डलीय प्रभारी/जिला निगम प्रभारी पूर्णिया / को सूचनार्थ एवं आई.टी. मैनेजर को एस.एम.एस. भेजने हेतु सूची प्रेषित ।


उप निदेशक